IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

टोंक जिले में भूमि उपयोग का भौगोलिक विश्लेषण

Hemraj Mali

सारांश: किसी भी क्षेत्र की भूमि उस क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रणाली का मूलाधार होती है। विकास के पथ में भूमि का समतल विस्तार उत्पादन के साधन के रूप में जाना जाता है जैसे-जैसे विकास प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और नए मोड़ लेती रहती है,वही समतल भूमि की जरूरत भी बढ़ती जाती है क्योंकि नए कार्यों और उद्योगों को सुविकसित करने के लिए भूमि की मांग होती है एवं पारंपरिक उपयोगी के लिए भी भूमि की मांग अधिक ही रहती है। वर्तमान समय में भूमि उपयोग एक ऐसा ज्वलंत विषय है जिसने समाज के सभी वर्गों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। विश्व भर में इसके प्रति गहन अध्ययन किया जा रहे हैं। भूमि केवल कृषि उत्पादन का आधार ही नहीं बल्कि आवास, उद्योग परिवहन अथवा बहुत सारी आर्थिक-सामाजिक गतिविधियों के लिए भी जरूरी होती है। जनसंख्या की वृद्धि अत्यधिक तेज़ गति से आगे बढ़ती जा रही है और इसने संसार के सभी देशों को हिला कर कर रख दिया है। आमतौर पर की बढ़ती हुई भूमि मांग को पूरा करने के लिए कृषि योग्य भूमि में कटौती करनी पड़ती है और इस तरह से कृषि उपयोग से भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए होने लग जाता है। आज के युग में सभी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी, निर्धनता, सामाजिक समस्याएं, अनपढ़ता, भुखमरी, विकास की गति धीमी होना, वस्तुओं की मूल्य वृद्धि इत्यादि समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। भूमि उपयोग बढ़ रहा है जिससे कृषि के लिए भूमि घटती जा रही है। भूमि उपयोग एवं उपभोग का अध्ययन भौगोलिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य का टोंक जिला जो कि पूर्वी राजस्थान में स्थित है और भूमि उपयोग की दृष्टि से भी गहन अध्ययन का विषय है। यहां की भूमि उपयोग प्रणाली वर्ष पर अत्यधिक निर्भर है। इसके साथ ही कृषि उत्पादन में अस्थिरता, बंजर एवं परती भूमि का बढ़ता क्षेत्र सिंचाई संसाधनों की कमी और शहरीकरण के दबाव जैसी समस्याएं यहां पर विशेष रूप से प्रधान हैं। भौगोलिक अध्ययन द्वारा यह समझने की कोशिश की जाती है कि भूमि का प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है, उसके कैसे पैटर्न है और कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। इसके साथ यह जानने की भी कोशिश की जाती है कि स्थानीय जनजीवन एवं अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। टोंक ज़िले में भूमि उपयोग का अध्ययन इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यह क्षेत्र कृषि प्रधान होते हुए भी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य टोंक जिले में भूमि उपयोग के प्रकारों, उनके क्षेत्रीय वितरण एवं प्रमुख समस्याओं और संभावित सुझावों का निरीक्षण करता है।

शब्दकोश: कृषि भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जनसंख्या, सामाजिक समस्याएं, भूमि उपयोग,भूमि उपयोग का परिवर्तित स्वरूप,बेरोजगारी, निर्धनता

प्रस्तावना: विश्व भर में कृषि उपयोग से गैर कृषि उपयोगी में भूमि का स्थानांतरण होना एक गंभीर समस्या बन रही है। यह प्रक्रिया एक तरफ आजीविका के स्रोत को नष्ट कर रही है वहीं दूसरी ओर समग्र अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कृषि वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति में भी गंभीर और संतुलन पैदा कर रही है। इस तरह से कृषि वस्तुओं की आपूर्ति एवं कमी अर्थव्यवस्था में और भी बहुत सारी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है (यादव, 2023)।

इसलिए यह बहुत ही जरूरी समझा जाता है कि जैसे-जैसे विकास की प्रक्रिया और समतल भूमि की मांग बढ़ रही है तो बंजर भूमि को कृषि या गैर कृषि उद्योगों के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए ताकि खेती के लिए उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल में कोई कमी ना आए बल्कि जहां तक भी संभव हो सकता है। कृषि योग्य प्रति भूमि में भी सुधार किए जाने चाहिए और कृषि उद्देश्यों के लिए उपलब्ध भूमि क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए ताकि आने वाले समय में कृषि वस्तुओं की पूर्ति में कोई कमी ना रहे। भूमि उपयोग गतिविधियों का आधार है और इसी आधार पर सभी गतिविधियों और आर्थिक गतिविधियां निर्मित एवं विकसित होती रहती हैं। भारत जैसे समृद्ध और विशाल देश, जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल करीबन 328.8 मिलियन हेक्टेयर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत आवासीय उद्योग एवं परिवहन व्यवस्था का आधार होने के साथ-साथ खनिजों का, स्रोतों, फसलों और वनोंपज का आधार भी है। भारत विविधता का पोषक भी है।

भारत कृषि की व्यवस्थापूर्ण प्रचुरता के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इस बहुमूल्य संसाधनों का सही उपयोग एवं प्रबंधन अति आवश्यक है। उचित भूमि उपयोग के माध्यम से इसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए इसके गुना को बरकरार रखते हुए और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित कर रखा जा सकता है। देखा जाए तो भारत भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है लेकिन विश्व की लगभग 15% जनसंख्या यहां पर रहती है, इस से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत को अपना कृषि उपयोग प्रबंधन करने की अतिआवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र: भारत के राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला टोंक है जो कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में 25°41 मिनट से 26°34 मिनट उत्तरी अक्षांश और 75°07 मिनट से 76°19 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है।

https://share.google/Bk2ht4uwoBQz7ZVsp

यह जिला मानव संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न जिला माना जाता है। जनसंख्या हेतु विभिन्न संसाधन एवं सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं परंतु राज्य के अन्य साधन संपन्न जिलों की तुलना में यह उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया। टोंक जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार 1421326 लोग निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार टोंक जिले का कुल जनसंख्या घनत्व 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले का भौगोलिक धरातल लगभग समतल है और इसका आकार पतंग के आकार जैसा है। जिले की महत्वपूर्ण बनास नदी इसे दो भागों में विभाजित करती है। जिले की साक्षरता दर 62.40% है और समुद्र तल से ऊंचाई 264.32 मीटर है। जिले का संभागीय मुख्यालय अजमेर है और जिले में कुल 1136 गांव है, इसके साथ तहसीलों की संख्या 8 है। टोंक जिले की मुख्य फसलें गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, सरसों एवं उड़द दाल इत्यादि हैं। टोंक के पड़ोसी जिले रायपुर, कोटा बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर एवं सवाई माधोपुर हैं। जिले में भूमि उपजाऊ है और रोजगार, उद्योग, धंधे, खनिज संपदा, जल,विद्युत शक्ति के संसाधन आदि की उपलब्धि सीमित है इसलिए यहां समस्याएं और भी अधिक हो गई हैं। पिछले कुछ दशकों से जिले की आवश्यकता के सभी क्षेत्रों जैसे कि कृषि, परिवहन, संचार, निर्माण कार्य, सेवाएं, सिंचाई, पर्यटन इत्यादि में कुछ वृद्धि हुई है।

इसके साथ ही सामाजिक कार्यों एवं आर्थिक कार्यों जैसे कि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं रोज़गार इत्यादि के भी साधन विकसित हुए हैं। टोंक जिला औद्योगिकरण की दृष्टि से राज्य के पिछड़े जिलों में एक माना जाता है। नमदा, कालीन, निवाड और बीड़ी निर्माण जिले के प्रमुख कुटीर उद्योग हैं और इसके अलावा टोंक जिले में पर्यटन की दृष्टि से सुनहरी कोठी, मौलाना

अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, हाथी भाटा, बीसलपुर बांध, डिग्गी कल्याण मंदिर और टोडर राय सिंह की बावड़ी मुख्य पर्यटन स्थल हैं। दूर-दूर से पर्यटक यहां के पर्यटन स्थलों को देखने आते हैं।

टोंक जिले के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि 1743 में जयपुर राजघराने के राजा मानसिंह कछवाह ने भोला नाम की एक ब्राह्मण को टोंरी व टोकरा के 12 ग्राम भूमि के रूप में स्वीकृत किया। जिनको मिलाकर भोला ब्राह्मण ने इनका नामकरण टोंक किया। कहा जाता है कि इस जिले की स्थापना 1817 ईस्वी में आमीर खान पिंडारी ने की थी। टोंक के बहुत सारे उपनाम है जैसे कि नवाबों की नगरी, राजस्थान का लखनऊ, अदब का गुलशन, मीठे खरबूजे का चमन, हिंदू मुस्लिम एकता का मुखौटा इत्यादि।

साहित्यसमीक्षा

- यादव 2023 ने अपने अध्ययन में टोंक जिले में भूमि उपयोग की संरचना का एक विस्तृत विश्लेषण किया और भिन्न-भिन्न भूमि उपयोग श्रेणियां जैसे कि वन भूमि, कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, परती भूमि, चारागाह भूमि, बागबानीभूमि, शहरी भूमिका विवरण अद्भुत तरीके से पेश किया है और इसके अलावा भूमि उपयोग में समय के साथ हुए बदलावों के बारे में बताया है। इस अध्ययन में उन्होंने समस्याओं के निवारण के लिए भी सुझाव पेश किए हैं।
- पहरिया(2022): ने टोंक जिले में ऋषि भूमि के उपयोग के स्थानक एवं कालिक परिवर्तनों का अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से विश्लेषण किया है। इस अध्ययन में उन्होंने बताया है की संचित और असंचित भूमि, फसल विविधता और भूमि उपयोग में हुए बदलावों का देश की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन में देखा गया है की भूमि उपयोग प्रणाली किसी क्षेत्र की भौतिक परिस्थितियों जैसे की जलवायु, मृदा, स्थलाकृति और मानव कारकों जैसे जनसंख्या तकनीकी विकास एवं नीतियों से प्रभावित होती है।
- बैरवा(2021): ने अपने शोध पत्र में टोंक जिले के भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण का वर्तमान सरोकारों पर ध्यान किया है। इसमें भूमि उपयोग में हुए परिवर्तनों जैसे कि कृषि क्षेत्र का शहरी भूमि क्षेत्र में परिवर्तन होना, और इसके भविष्य के विकास पर पड़ने वाले दुष्परिणामों का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

- टोंक जिले में भूमि की वर्तमान स्थिति का वर्णन करना।
- टोंक जिले में खेती के साथ भूमि उपयोग के संबंध का विश्लेषण करना।
- भविष्य नीति निर्देश एवं प्रबंधन योजनाएं प्रस्तावित करना।

शोध विधि

किसी भी शोध में शोध विधि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शोध अध्ययन को सार्थकता प्रदान करने में मदद देती है। इस शोध पत्र में भी टोंक जिले के राजस्वअभिलेख, जनगणना 2011, से तथ्य इकट्ठे किए गए हैं। इसके साथ कि पहले से हुए संबंधित शोध पत्रों का भी सर्वेक्षण किया गया है और इसके सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न शोध पत्रों, रिपोर्ट, आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में गोण आंकड़ों के द्वारा तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं।

भूमि उपयोग का भौगोलिक अध्ययन: भूमि उपयोग के भौगोलिक स्थिति काअध्ययन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे पता चलता है कि भूमि को कुशलता पूर्वक कृषि योग्य कैसे बनाया जा सकता है। भूमि का विभाजन मुख्यता इस तथ्य पर भी आधारित होता है, भूमि की प्रकृति कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत है या चारागाह या वनों के अंतर्गत आता है। भूमि उपयोग का विवरण 9 शीर्षकों में प्रस्तुत किया गया है इनका अध्ययन करके यह जाना जा सकता है की भूमि तत्व भविष्य की विकास प्रक्रिया में कैसे भूमिका निभा सकते हैं:

- भूमि उपयोग का स्वरूप एवं श्रेणियां: भूमि उपयोग से तात्पर्य और गतिविधियों से है जिनका प्रयोग मानव द्वारा भूमि के विभिन्न रूपों में किया जाता है जैसे कि पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, दलदल, खदानें, परिवहन, आवास, पशुपालन, कृषि एवं खनिज। भूमि का उपयोग मुख्य रूप से फसलों के उत्पादन के लिए ही किया जाता है और इसके साथ ही अन्य उपयोग भी किए जाते हैं जैसे कि परिवहन, मनोरंजन, आवास, उद्योग, एवं व्यवसाय आदि। भूमि का उपयोग बहुउद्देशीय कार्यों के लिए किया जाता है जैसे कि वन भूमि का उपयोग चारागाह के लिए ही नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। वहीं दूसरी ओर भूमि का दुरुपयोग ना हो और उसको उपयोगी बनाने के लिए भी योजनाएं और कार्य बनाए जाते हैं ताकि भूमि के अधिक प्रभावी और बेहतर उपयोगी संभावनाएं एंकलेट की जा सके। इसके साथ ही किसी क्षेत्र की भूमि उपयोग योजना ऐसे प्रयत्नों से प्रेरित होनी चाहिए जिनका अधिक से अधिक लाभदायक तरीके से उपयोग किया जा सके ताकि उसे क्षेत्र की भूमि के प्रत्येक भाग था अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके साथ ही वह भूमि समाज के कल्याण को बढ़ाने में भी सक्षम हो तभी यह प्रयोग उसे क्षेत्र की क्षमता पर भी निर्भर करेगा। किसी भी भूमि उपयोग योजना में वैज्ञानिक प्रयोग में निहित वास्तविक क्षमता का निर्धारण करना भी बहुत जरूरी है ताकि उसका अधिकतम संभव उपयोग निर्धारित किया जा सके। टोंक जिले में 2016 के अनुसार 4.16 प्रतिशत भूमि जंगलों और जंगलात क्षेत्र के अधीन आती हैं यह भूमि 33280 हेक्टेयर है(यादव, 2023)।
- कृषि के अलावा अन्य भूमि: इस श्रेणी में वह भूमि क्षेत्र शामिल है जिनका उपयोग भवन निर्माण, सड़क एवं रेल मार्ग इत्यादि बनाने के लिए होता है। इसी प्रकार यह वह भूमि क्षेत्र है जो जल प्रवाह एवं नदियों . नहरों के अंतर्गत आती हैं। टोंक जिले में इस प्रकार की भूमि 50622 हेक्टेयर है जो की कुल भूमि उपयोग का 7.05% है(यादव, 2023)।
- बंजर और गैर कृषि भूमि: इससे श्रेणी के अंतर्गत वह सभी भूमि क्षेत्र शामिल होते हैं जो या तो बंजर है या फिर कृषि योग्य नहीं है। इस श्रेणी में पहाड़ी भूमि, पठार और रेगिस्तान भूमि क्षेत्र शामिल है। इन भूमियों पर बिना भारी लागत के फसल उगाई नहीं जा सकती। यह भूमिया कृषि क्षेत्र के बीच या फिर उसके अलग-अलग क्षेत्र में हो सकती है। टोंक ज़िले में इस प्रकार की भूमि मिलती है जो कि 21372 हेक्टेयर है जो की कुल भूमि उपयोग का 2.98 प्रतिशत है।
- स्थाई चरागाह एवं चारागाह भूमि क्षेत्र: इस क्षेत्र में सभी चारागाह भूमि इस श्रेणी अंतर्गत आते है और इस भूमि पर घास के मैदान एवं स्थाई चारागाह हो सकती है। ग्राम समूह की चरागाह भूमि भी इसी श्रेणी में आती है देखा जाए तो टोंक जिले में इस प्रकार की भूमि 40441 हेक्टेयर है जो की कुल भूमि उपयोग का 5.70% है(यादव, 2023)।
- विविध वृक्षों एवं उद्यानों वाली भूमि: इस श्रेणी में वह सभी कृषि योग्य भूमिया शामिल की जाती हैं जो शुद्ध रूप से कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है लेकिन कुछ भूमि का उपयोग कृषि में किया जा सकता है। इस क्षेत्र में छोटे वृक्ष, छायादार वृक्ष, घास बस की झाड़ियां एवं ईंधन की लकड़ी वाले वृक्ष शामिल होते हैं जो भूमि के उपयोग वितरण में वृक्षारोपण की श्रेणी

में शामिल नहीं होते हैं। टोंक में भी इस तरह की भूमि पाई जाती है जो की 236 हेक्टेयर है जो कि कुल भूमि उपयोग का 0.033% है।

- कृषि अधीन बंजर भूमि: इस श्रेणी में वह भूमि शामिल होती है जो खेती के लिए उपलब्ध है लेकिन जिस पर चालू वर्ष में और या फिर पिछले पांच सालों या फिर उसे ज्यादा समय के लिए कोई फसल उगाई नहीं गई है। इस तरह की भूमि परती हो सकती है या झाड़ियां और जंगलों से ढकी हो सकती है। इस भूमि पर खेती की जाती है लेकिन पिछले पांच वर्षों से खेती नहीं की गई तो भी वह इसी श्रेणी में आती है। टोंक जिले में इस तरह की भूमि 43874 हेक्टेयर है जो की कुल भूमि उपयोग का 6.11%है(यादव, 2023)।
- चालू परती भूमि: यीशु श्रेणी में वह कृषि योग्य भूमि शामिल की जा सकती है जो केवल चालू वर्ष में ही परती रखी जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी नर्सरी क्षेत्र में उसे वर्ष में किसी फसल के लिए वह उपयोग नहीं की जाती तो उसे चालू परती भूमि कहते हैं। टोंक जिले में इस तरह की भूमि पाई जाती है जो की कुल भूमि उपयोग का 6.38% है (यादव, 2023)।
- अन्य परती भूमि: ईश्वर श्रेणी में वह भूमि क्षेत्र शामिल होते हैं जो कि पहले कृषि के अधीन थे लेकिन 1 वर्ष से अधिक लेकिन कम से कम 5 वर्षों की अवधि के लिए स्थाई रूप से खेती के अधीन है। भूमि की खेती से बाहर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि किसानों की गरीबी, पानी की कमी, प्रतिकूल जलवायु, नदियों एवं नेहरू के पास की भूमि और लाभहीन खेती आदि। टोंक जिले में इस प्रकार की भूमि 4.14% है (यादव, 2023)।
- शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल: इस श्रेणी के अंतर्गत फसलों एवं फसल उत्पादन के रूप में कुल बोया गया भूमि क्षेत्रफल शामिल होता है। एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्रफल को भी एक बार गणना की जाती है। टोंक जिले में इस तरह की भूमि 452126 हेक्टेयर है जो की कुल भूमि उपयोग का 62.97% है (यादव, 2023)।

प्रमुख समस्याएं

- **वर्षा पर अत्यधिकनिर्भरता:** टोंक जिले की कृषि मुख्य तौर पर मानसूनी वर्षा पर आधारित है क्योंकि यहां पर सिंचाई साधन सीमित हैं। वर्षा का आसमान वितरण और अनिश्चित्र किसानों को अस्थिर उत्पादन की ओर डा खेलती है कभी तो अधिक वर्षा के कारण फैसले नष्ट हो जाती हैं कभी-कभी कम वर्षा के कारण सूखे की स्थिति हो जाती है और उत्पादन काफी कम हो जाता है इसके कारण किसान आर्थिक सुरक्षा का सामना करते हैं और उनका जीवन यापन कठिन हो जाता है।
- **भूमि अपरदन एवं मरुस्थलीकरण:** अत्यधिक पशु चराने के कारण, जंगलों की कटाई के कारण, अनुचित कृषि पद्धतियों के कारण टोंक जिले की भूमि क्षरण किस मसीहा झेलती है यहां पर अपरदन तेवर गति से होता है जिसके कारण ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी अपरदित हो जाती है और भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है। बार-बार सूखा पड़ने से उस स्थान पर मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया भी देखी जाती है जो कृषि के लिए एक गंभीर संकट है।
- **सिंचाई साधनों की कमी:** टोंक जिले में नहरों का सीमित जल है और भूमिगत जलस्तर भी दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है कृषि ज्यादातर कुएं और ट्यूबवैलों पर ही निर्भर करती है। इसके साथ ही बिजली की आपूर्ति रहती है जिस कारण खेतिहर एक से अधिक फसलों की खेती नहीं कर पाते।

- **बंजर एवं परती भूमि का एक बड़ा क्षेत्रफल:** भूमि क्षरण एवं जल की कमी और इसके साथ ही अनुचित भूमि प्रबंधन के कारण टोंक जिले में बंजर भूमि और परती भूमि का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। परती भूमि से केवल ऋषि उत्पादन श्रमता प्रभावित होती है बल्कि भूमि स्रोतों का भी अपव्यय होता है। दूसरी ओर लंबे समय तक अनुपजाऊ रहने के कारण यह भूमि स्थाई रूप से बंजर भूमि में बदल जाती है जिससे ग्रामीण आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा दोनों पर दुष्परिणाम पड़ते है।
- **शहरीकरण एवं औद्योगिकरण:** टोंक जिले में शहरों और औद्योगिकरण का विस्तार हो रहा है जिसके कारण कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा सारा हिस्सा आवास, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग मेंपरिवर्तित हो रहा है। यह बदलाव अल्पकाल में शहरी विकास को प्रोत्साहित करता है, विकास बढ़ाता है लेकिन कृषि उत्पादन की समरथा को भी कम करता है। इसके फलस्वरुप बहुत सारे किसान अपनी उपजाऊ भूमि से वंचित हो जाते हैं और रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं। धीरे-धीरे सामाजिक आर्थिक असमानता और उपभोग और असंतुलन बढ़ता जाता है।

सुझाव

टोंक राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला है। यहां पर भूमि उपयोग को लेकर बहुत सारी मुश्किलें पाई जाती हैं लेकिन इन मुश्किलों का समाधान कुछ तरीकों से किया जा सकता है :

- **वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता को दूर करने के लिए सुझाव:** वर्षा आधारित कृषि की अस्तित्व को दूर करने के लिए वर्षा जल संचयन एवं उसका वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत जरूरी है। इसके लिए खेत, तालाब जोहड, नाडी एवं चेक डैम जैसी पारंपरिक जल संरचनाओं को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और नए-नए सिंचाई के तरीके जैसे कि तुपका प्रणाली, स्प्रिंकलर सिंचाई का व्यापक रूप से प्रसार करना चाहिए ताकि कम से कम पानी से भी अधिक भूमि की सिंचाई संभव हो सके। सरकार को किसानों को प्रशिक्षण देकर इन तकनीकों के प्रयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वह वर्षा पर काम निर्भर हो और उत्पादन भी स्थिर हो जाए।
- **भूमि क्षरण, भूमि अपरदन एवं मरुस्थलीकरण का समाधान जरूरी:** भूमि शरण को रोकने के लिए बहुत सारी मृदा संरक्षण तरीकों को ग्रहण करना अत्यंत जरूरी है। क्षेत्र की नदियों एवं नालों के किनारे हरित पत्तियां विकसित करने से भी अपरदन कम हो जाता है। इसके अलावा बंजर पड़ी भूमि को कृषि वानिकी एवं चराई पर नियंत्रण से भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। स्थानीय लोगों एवं समुदायों को इन प्रयासों में अपनी एक सक्रिय भागीदारी दी जानी चाहिए ताकि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को भी रोका जा सके।
- **सिंचाई साधनों की कमी को दूर करना:** सिंचाई साधनों की कमी को दूर करने के लिए भूमिगत जल पुनर्भरण पर जोर देना चाहिए। लघु सिंचाई परियोजनाओं, नेहरू के विस्तार एवं सौर ऊर्जा आधारित पंपों का प्रयोग किसने को अधिक पानी उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसके अलावा सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देकर छोटे किसानों तक यह सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं।
- **बंजर एवं परती भूमि का हल:** सरकार को बंजर एवं परती भूमि का अच्छे से हल करने के लिए बहुत फसलीय खेती, बागवानी खेती को बढ़ावा देना चाहिए। जैविक खाद एवं हरी खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता वापस आ सकती है। परती भूमि कोलंबिया समय तक अन उपजाऊ छोड़ने की बजाय उसमें तिलहन दालें और चारा फसलों की खेती की जानी चाहिए ताकि मिट्टी की संरचना में सुधार हो और इसकी उपजाऊपन और क्षमता भी बढ़ सके।

- **कृषि योग्य भूमि के शहरी एवं औद्योगिक उपयोग में बदलाव:** कृषि योग्य भूमि को बचाने के लिए सरकार को भूमि उपयोग नियोजन एवं कठोर नीतियों का होना बहुत जरूरी है। सरकार को इस क्षेत्र में भूमि उपयोग में संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित कानून बनाने चाहिए ताकि अंधाधुंध शहरीकरण के कारण कृषि भूमि खराब या अपरदित ना हो पाए। इसके साथ ही शहरी विकास योजनाओं में ग्रीन बेल्ट का प्रावधान करना चाहिए और कृषि भूमि को अन्य उपयोगी में बदलने के लिए सख्त अनुमति प्रक्रिया अपनाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। किसानों को वैकल्पिक आई स्रोत उपलब्ध हो सके और उन्हें अपनी भूमि बेचने की जरूरत ना पड़े।

निष्कर्ष: इस से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि टोंक जिले में कृषि क्षेत्र का 37.03% क्षेत्र कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियों की अनुपस्थित के कारण बंजर है। लेकिन अगर इस भूमि का सुधार किया जाए या फिर पेड़ लगाए जाएं तो इस भूमि का अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। जिले में केवल 62.97% क्षेत्रीय फसल उत्पादन के लिए उपलब्ध है अर्थात 27.03% भाग का उपयोग अन्य उपयोगो के अनुसार किया जाता है। टोंक जिले में बंजर भूमि वर्तमान परती भूमि एवं अन्य परती भूमि का हिस्सा 13.49% है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कृषि हिस्सा बन सकता है और इसका प्रयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अगर इस क्षेत्र का उपयोग अच्छे से किया जाए तो जिले का शुद्ध कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। नए-नए कृषि , प्रयोगिकी के फलस्वरुप इस क्षेत्र को कृषि के अंतर्गत लेकर आना कोई जटिल कार्य नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- चंदना, आर. सी. (1980). जनसंख्या भूगोल का परिचय. कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- अग्रवाल, एस. एन. (1974). भारत में जनसंख्या की समस्याएं. टाटा मैक्ग्रा हिल, नई दिल्ली।
- गुर्जर, आर. के. (1992). पर्यावरण प्रबंधन एवं विकास. प्वाइंटर पब्लिशर्स, जयपुर।
- जनगणना विभाग, भारत सरकार। (2011). टोंक जिले की जनगणना रूपरेखा. नई दिल्ली।
- यादव, हीरालाल। (2003). जनसंख्या भूगोल. राधा प्रकाशन, नई दिल्ली।
- यादव, एस. (2023). टोंक जिले में भूमि उपयोग का भौगोलिक अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट (IJHSSM), 3(6), 636–641।
- तंवर, वी., एवं पुरी, के. एल. (2023). टोंक जिले में सतही जल संसाधन : नदियों एवं बीसलपुर बांध के संदर्भ में. एआईजेआरए (AIJRA), 3(4). ISSN: 2455-5964।
- पहाड़िया, पी. (2022). टोंक जिले में कृषि भूमि उपयोग का स्थानिक-कालिक विश्लेषण. सोशल रिसर्च फाउंडेशन।
- बैरवा, बी. (2021). भविष्य के विकास पथ की जानकारी में वर्तमान भूमि उपयोग और भूमि आच्छादन का महत्व : टोंक जिले, राजस्थान का एक अध्ययन.
- अग्रवाल, एस. एन. (1974). भारत में जनसंख्या की समस्याएं, टाटा एम हिल, नई दिल्ली।
- गुर्जर, आर. के. (1992). पर्यावरण प्रबंधन एवं विकास, प्वाइंटर पब्लिशर्स जयपुर।
- टोंक जिले की जनगणना रूपरेखा (2011). जनगणना विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।

- यादव हीरालाल. (2003). जनसंख्या भूगोल, राधा प्रकाशन, नई दिल्ली।
- https://share.google/Bk2ht4uwoBQz7ZVsp